मुन्तकिली प्रकरण संखय 157/2024
(GCMS No. 2024/234)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 157/2024(GCMS : 2024/234)

1. **हनीफ** पुत्र मालू खा पुत्र सोने खा, आयु वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 40, जामा मस्जिद के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. **निजामुद्दीन** पुत्र मालू खां पुत्र सोने खां आयु वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 40, जामा मस्जिद के पास, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़**
2. **उमरदीन** पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी वार्ड नम्बर 43, लखारा मदरसे के पास, सूरतगढ़
3. **लाल मोहम्मद** पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी वार्ड नम्बर 43, लखारा मदरसे के पास, सूरतगढ़
4. **जाकर** पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी वार्ड नम्बर 43, लखारा मदरसे के पास, सूरतगढ
5. **जैतून** पुत्री मालू खां, पत्नी संदीक खां पुत्र कमालदीन निवासी वार्ड नम्बर 39 नया, नजदीक मदीन मस्जिद के पास, प्रेमनगर, हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ
6. **माफीया** पुत्री मालू खां पत्नी लियाकल अली पुत्र नूर मोहम्मद मनिहार, निवासी ग्राम केड दरगाह के पास, तहसील गुढा गोड़जी जिला झुन्झुने
7. **बसीरन** पुत्र मालू खां पत्नी असगर अली शेख पुत्र हुसैन खां, निवासी वार्ड नम्बर 39, नजदीक दोरूल उलूम गोसिया मदरसा, प्रेम नगर, हनुमानगढ टाउन, जिला हनुमानगढ
8. उप पंजीयक, **उपपंजीयक** कार्यालय, **सूरतगढ**
9. राजस्थान सरकार बजरिये **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़** प्रतिनिधि भू–धारक

आदेश

06.08.2025

पत्रावली पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सरपाल एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गसा।

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई कथन किया कि प्रार्थी हनीफ वगै. ने जरिये अधिवक्ता यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एक्ट विचाराधीन प्रकरण संख्या 255/2024 अनवानी हनीफ आदि बनाम रहमति आदि में [illegible] व्यक्त कर प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिली कर[illegible] के साथ पेश किया था। तत्कालीन उपखण्ड अधिका[illegible] हो गया है, इसलिए यह पत्रावली निष्प्रभावी होने के कारण खारिज [illegible] जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested

प्राथी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का स्थानान्तरण होने के कारण पत्रावली खारिज की जाती है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण संख्या 255/2024 अनवानी हनीफ आदि बनाम रहमति आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एक्ट मे निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता को भी इस पर कोई आपति नही है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अत: इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:24:15 IST
Reason: SelfAttested